

भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

राज्यसभा

लिखित प्रश्न सं. 137 जिसका उत्तर

सोमवार, 24 नवम्बर 2014/3 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया जाना है

राष्ट्रीय अन्तर्देशीय जलमार्ग-4 का विकास

137. श्रीमती कानीमोझी :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) राष्ट्रीय अन्तर्देशीय जलमार्ग-4 के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है
- (ख) इस जलमार्ग को माल और यात्री के आवागमन के लिए कब तक चालू कर दिए जाने का प्रस्ताव है
- (ग) इस कार्य की प्रगति में विलम्बर के क्या कारण हैं और
- (घ) सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय अन्तर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं के त्वनरित निष्पानदन के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं

उत्तर

पोत परिवहन राज्यसभा मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णधन)

(क) से (ग) : आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु राज्यों और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का काकीनाडा- पुडुचेरी नहर सहित गोदावरी और कृष्णा नदियों (1078 कि.मी.) को वर्ष 2008 में जलमार्ग-4 (एन. डब्ल्यू 3-4) के रूप में घोषित किया गया है। प्रारंभ में सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अन्तर्गत राष्ट्रीय जलमार्गों पर फेयरवे के विकासशील खंडों की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास किया था। तथापि, वह एक व्यवहार्य प्रस्ताव प्रतीत नहीं हुआ। तत्पश्चात् यह निर्णय किया गया कि समस्त राष्ट्रीय जलमार्गों में फेयरवे

का विकास बजटीय सहायता से किया जाएगा । इसके बाद जनवरी 2014 में तमिलनाडु में शोलिंगानालुर से कलपक्कम (37 कि.मी.) तक दक्षिण बकिंघम नहर के विकास की योजना स्वीकृत की गई थी। कार्य करने वाले घटक में ड्रेजिंग और उत्खमनन टर्मिनल सुविधाओं का निर्माण, मौजूदा पुराने तथा क्षतिग्रस्त नेविगेशन लॉक और ब्रिज को विध्वंस तथा पुनः निर्माण करना, नेविगेशन सहायता उपकरणों की स्थापना और ओपनिंग ऑफ सी माउथ शामिल हैं। इन कार्यों के निष्पादन के लिए टर्मिनलों के विकास और निष्कर्षित सामग्री को जमा करने के लिए भूमि की पहचान करने एवं हस्तांतरण के संबंध में तमिलनाडु सरकार से संपर्क किया गया।

आंध्र प्रदेश राज्य। में आ रहे एन.डब्ल्यू.- 4 के भाग में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ विस्तृत चर्चाएं भी की गईं। चूंकि विभिन्न अध्ययन/सर्वेक्षण कार्य किए जा रहे हैं: परियोजना के पूर्ण होने का समय केवल डीपीआर को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही निर्धारित किया जा सकेगा।

(घ) : भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई. डब्ल्यूके ए. आई.) ने एन.डब्ल्यू भय-1 एन.डब्ल्यू.ि ए. -2 और एन.डब्ल्यू च-3 के बड़े हिस्से सहित न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एल.ए.डी.) जेटी/टर्मिनल जैसे नेविगेशन सहायता उपकरणों और अवसंरचना का पूर्व में ही विकास कर दिया है। " जलमार्ग विकास परियोजना" के अंतर्गत एन.डब्ल्यू.िका-1 के हल्दिसया-इलाहाबाद खंड को 3.0 मीटर एल.ए.डी.सहित तथा 1500 डेड वेट टन (डी. डब्ल्यू को. टी) जलयानों के आवागमन में सक्षम अन्यन अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।

एन.डब्ल्यूअ-5 के विकास के लिए आई.डब्ल्यूएआई द्वारा ओडिशा सरकार पारादीप पत्तमन और धामरा पत्तयन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में विभिन्न अध्ययन चल रहे हैं और विकासात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन अध्ययनों और उनके विश्लेषण के पूर्ण होने पर किया जाएगा।
